

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/5113/2005/हनुमानगढ सरकार बनाम सकतर सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p style="text-align: center;"><b>एकलपीठ</b> <b>श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य</b></p> <p><b>उपस्थित</b> श्री अभिषेक कोशिक, उप राजकीय अधिवक्ता अपीलार्थी श्री ओ.पी. मोदी, अधिवक्ता, प्रत्यर्थागण</p> <p style="text-align: center;"><b>निर्णय</b></p> <p style="text-align: center;"><b>दिनांक 13.03.2019</b></p> <p>अपीलार्थी ने यह अपील धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29-07-2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की है।</p> <p>संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, टिब्बी ने अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ के न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि चक 2 टीएलडब्ल्यू हाल चक 1 टीएलडब्ल्यू (बी) के पत्थर नम्बर 238/304 किला नम्बर 20, 21, पत्थर नम्बर 237/304 किला नम्बर 16 से 20, 22 से 25, पत्थर नम्बर 237/305 किला नम्बर 3 से 7, 15, पत्थर नम्बर 238/305 किला नम्बर 1, 10 कुल रकबा 3.682 हैक्टर भूमि जमींदारी बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के प्रभावशील होने के दिन अर्थात् दिनांक 15-11-1959 को प्रत्यर्थागण के पिता अथवा अन्य के कब्जे काशत में नहीं होने के कारण उक्त आराजी को आराजी राज घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र को दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 15-06-2005 से विवादित आराजी को राजस्व अभिलेख में</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/5113/2005/हनुमानगढ सरकार बनाम सकतर सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश तहसीलदार टिब्बी को प्रदान किये। इस निर्णय के विरुद्ध प्रत्यर्थी संख्या-1 ने राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 29-07-2005 से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।</p> <p>योग्य उप राजकीय अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाकर विवादित आराजी को राजस्व अभिलेख में राजकीय भूमि दर्ज करने का आदेश पारित किया था, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं थी। उनका कथन है कि विवादित भूमि सम्वत् 2009 से 2012 में संयुक्त खाता में वरियामसिंह आदि के संयुक्त खाता में दर्ज थी। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2013 से 2016 व जमाबन्दी में यह भूमि फौजासिंह आदि के नाम से दर्ज है तथा सम्वत् 2015-16 की गिरदावरी में यह भूमि वरियामसिंह आदि के नाम दर्ज है तथा काशत जयसिंह हिस्सेदार की दर्ज है। विवादित भूमि पर काशत फौजासिंह व उसके पिता के नाम से दर्ज नहीं है। इस कारण दिनांक 15-11-1959 को विश्वेदारी की काशत दर्ज नहीं होने से यह भूमि राजकीय भूमि घोषित की गयी थी। उनका कथन है कि पर्चा खतौनी में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के कांट-छांट की गयी है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय से अपील स्वीकार कर विचारण</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/5113/2005/हनुमानगढ सरकार बनाम सकतर सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>न्यायालय द्वारा पारित विधिसम्मत निर्णय को निरस्त करने में तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15-06-2005 को यथावत बहाल रखा जावे।</p> <p>योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थागण ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि जमाबन्दी सम्बत् 2009 से 12 में विवादित भूमि नन्दसिंह पुत्र जैमलसिंह बिश्वेदार में दर्ज है। गिरदावरी सम्बत् 2015 व 2016 में भी विवादित आराजी पर नन्दसिंह, वरयामसिंह वगैराह के नाम से काश्त दर्ज है। उनका कथन है कि विवादित आराजी सम्बत् 2016 में बिश्वेदार की खुदकाश्त में होने के कारण उनके पक्षकार विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार हो जाते है। इसी आधार पर विवादित आराजी उनकी खातेदारी में दर्ज होगी। उनका कथन है कि पर्चा खतौनी तैयार करते समय सहवन से गैर दाखिलकार अंकित कर दी तथा इस भूल का ज्ञान होते ही उसे काट कर इस पर लघु हस्ताक्षर भी किये गये है, जो एक सद्भावी भूल प्रतीत होती है, जिसे 50 वर्ष की अवधि उपरान्त चुनौती नहीं दी जा सकती। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।</p> <p>हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।</p> <p>अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/5113/2005/हनुमानगढ सरकार बनाम सकतर सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जमाबन्दी सम्बत् 2009 से 2012 में विवादित आराजी नन्दसिंह वगैराह बिश्वेदार के संयुक्त खाता में दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्बत् 2015 व 2016 में भी विवातिद आराजी वरयामसिंह वगैराह अर्थात् नन्दसिंह आदि की काश्त दर्ज है तथा फौजासिंह वगैराह नन्दसिंह के पुत्रगण है। जहां तक पर्चा खतौनी का प्रश्न है खसरा नम्बर 778 की 14.13बीघा भूमि चक 2टीएलडब्ल्यू पर पैमूद हुई है तथा इस पर्चा खतौनी के खाना संख्या-3 में फौजासिंह, करनैलसिंह, दरबारासिंह पिसरान नन्दसिंह आदि का नाम लिखकर गैर दाखिलकार अंकित कर उसे काटा गया है तथा इस पर लघु हस्ताक्षर भी किये गये है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी पर सम्बत् 2009 से निरन्तर बिश्वेदार नन्दसिंह, वरयामसिंह आदि के संयुक्त खाते में दर्ज रही है तथा सम्बत् 2016 में भी इन्हीं का कब्जा दर्ज होने से दिनांक 15-11-1959 को अर्थात् जमीदारी बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने के दिन विवादित भूमि उनकी खुद काश्त की होने के कारण खातेदारी में दर्ज होगी। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय की पुष्टि की जाती है।</p> <p>निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/5113/2005/हनुमानगढ सरकार बनाम सकतर सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>नियमानुसार भिजवाया जावे।</p> <p>पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">( मोहन लाल नेहरा ) सदस्य</p>	

